

3260-13/4/16

RTI Application
Form-A

3260/16

436

See Rule 3(1) 2005

सेवा में:- प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

सूचना लेने वाले का नाम:- डॉ. ल. चन्द पेंवार

पूरा पता:- डॉ. ल. चन्द पेंवार, आर. पी. आई कार्यालय

W-2/408, जिला-151202 (पेलाब)

मांग की गई सूचना:- ① संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धित

सूची में भारत के कहने पर (आंतकबादी पटनाओं)

को अजाम देने वाले मास्टर माइंड को सूची में उलवाया

उनका उल्लेख किया जाए।

② संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धित सूची के कोन-2 से

आंतकबादी हैं एक कितने हैं उनका उल्लेख उनके

फोटो चित्र भेजें। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धित का भाव है

सूचना उक्त सूची में:- डॉ. ल. चन्द पेंवार

मास्टर माइंड 206 2444 85 केवल 20/-

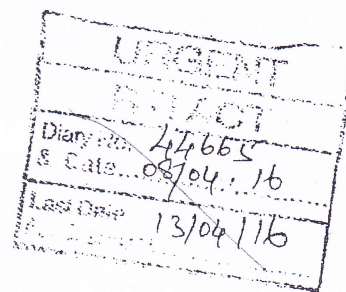
सम्पत्ति नं 0 80540-89/00 Two RTI Fees

डायरी नं 0 DSW/1324/6-4-2016

Date
6-4-2016

हस्ताक्षर
Suresh Prasad

7948



विदेश मंत्रालय
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

सं : U.II/551/18/2016

दिनांक: 20 मई 2016

सेवा में,

श्री डाल चंद पंवार

डब्लू-2/408, जैतो

पंजाब-151202

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित व माननीय प्रधानमंत्री जी को संदर्भित, आर टी आई प्रार्थना-पत्र सं "शून्य" दिनांकित 6 अप्रैल 2016, का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 27 अप्रैल 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना-पत्र में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निम्नवत है :-

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989/2253 प्रतिबंध समिति की सूची निम्न वेब-एड्रेस पर देखी जा सकती है जिसमें उपरोक्त समिति द्वारा प्रतिबंधित समस्त आतंकवादियों व आतंकी संस्थाओं के विवरण उपलब्ध हैं।

["https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1267.pdf"](https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1267.pdf)

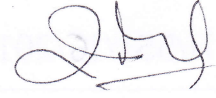
तदनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 प्रतिबंध समिति की सूची निम्न वेब-एड्रेस पर देखी जा सकती है जिसमें उपरोक्त समिति द्वारा प्रतिबंधित समस्त आतंकवादियों व आतंकी संस्थाओं के विवरण उपलब्ध हैं।

["https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1988.pdf"](https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1988.pdf)

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबन्धित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या 0102, जवाहर

लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011, फोन 011-49018413 व
फैक्स 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय



(डा. शैलेंद्र कुमार सक्सेना)

अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

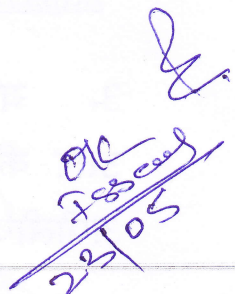
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन

विदेश मंत्रालय, 23-D, जनपथ, नई दिल्ली-110011

फोन-011-49018408

प्रतिलिपि:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र संख्या आर टी आई/3260/2016-पी एम आर दिनांक 13 अप्रैल 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. विदेश सचिव कार्यालय, विदेश मंत्रालय को उल्लिखित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. गृह मंत्रालय आई एस डिवीजन, सी एफ टी सेल को पत्र संख्या 17012/75/2013/सी एफ टी दिनांक 29 अप्रैल 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।



Form-A

See Rule 3(1) 2005-8 APR 2016

सेवा में :- प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
 सूचना लेने वाले का नाम :- डॉ. चन्द पवार
 पूरा पता :- डॉ. चन्द पवार, आर. वी. आर्किटेक्चर

मार्ग की गई सूचना: पठानकोट हमले के मास्टर
 गाइड मसूदा अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रति-
 बधित सूची में उल्लेख के काम देकर कामयाब
 हुआ या नहीं उसका उल्लेख किया जाए।

(2) मसूदा अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
 प्रतिबधित सूची के लिए चीन ने रौंडा डाला
 उसके लिए म्यांमार ने लिखती विरोध
 देना कराया या नहीं, उसका उल्लेख किया
 जाए।

सूचना डाक याददाftी :- डॉ. चन्द पवार

पासपोर्ट आर्डर नं 206 244485 केवल 20/-

सम्पत्ति नं 80540-89/10

Two RTI fees

डायरी नं DSW/1385/6-4-16

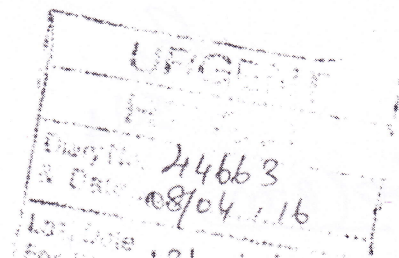
Date
6-4-16

हस्ताक्षर

Signature

4392449

TANNO 206 244485 4 2 20/16



विदेश मंत्रालय
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

सं : U.II/551/17/2016

दिनांक: 19 मई 2016

सेवा में,
श्री डाल चंद पवार
डब्लू-2/408, जैतो
पंजाब-151202

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित व माननीय प्रधानमंत्री जी को संदर्भित, आर टी आई प्रार्थना-पत्र सं "शून्य" दिनांकित 6 अप्रैल 2016, का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 25 अप्रैल 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना-पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 1 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है :-

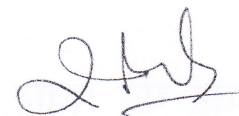
"पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूदा अज़हर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति की प्रतिबंधित सूची में डलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था । उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति पर वर्तमान में समिति द्वारा अस्थायी रोक (temporary hold) लगाई गई है।"

3. आपके प्रार्थना पत्र के क्रमांक 2 पर मांगी गई जानकारी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित की जा रही है। उक्त जानकारियों को उपलब्ध करने के साथ ही आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

4. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबन्धित अपील

इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011, फोन 011-49018413 व फैक्स 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय



(डा. शैलेंद्र कुमार सक्सेना)

अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन

विदेश मंत्रालय, 23-D, जनपथ, नई दिल्ली-110011

फोन-011-49018408

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव पूर्वी एशिया प्रभाग व केंद्रीय जन सूचना प्राधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इस अनुरोध के साथ कि वह आर टी आई प्रार्थना पत्र के क्रमांक 2 पर मांगी गई जानकारी प्रार्थी को उपलब्ध कराएं।
2. प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र संख्या आर टी आई/3259/2016-पी एम आर दिनांक 13 अप्रैल 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. विदेश सचिव कार्यालय, विदेश मंत्रालय को उल्लिखित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ।